न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 46/2014/डिक्री

सुरजमल पिता ईसर गंवार
निवासी सुवाणिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. बरजीबाई पुत्री ईसर गंवार
   निवासी सुवाणिया हाल मुकाम दुदिया खेडी तहसील बिजोलियां
   जिला भीलवाडा
2. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
3. राज्य जरिये जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड़ अधिकारी, बेगूँ
दिनांक 19.05.2014 प्रकरण सं. 95/2011

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय दिनांक– 30.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा मेघनिवास पटवार हल्का सुवाणिया मे अपीलान्ट के नाम पर दर्ज राजस्व रिकार्ड मे खाता संख्या 59 पर दर्ज आराजी नम्बर 2, 5, 7, 9, 11, 313/2 किता 6 रकबा 1.82 है0 स्थित है जो वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादी अपीलान्ट के दादा स्वर्गीय गंगाराम जी गंवार साकिन सुवाणिया के नाम दर्ज थी जिनकी मृत्यु के पश्चात् आराजीयात उनके दो पुत्र चैता, ईसर पिता गंगाराम के नाम पर दर्ज हुयी। ईसर ने अपना 1/2 हिस्सा अकेले के नाम पर दर्ज करा लिया, जबकि वादिया एवं प्रतिवादी अपीलान्ट सगे भाई बहिन होने से स्वर्गीय ईसर जी की सम्पत्ति मे बराबर हक निहित होने से 1/2, 1/2 भाग दर्ज कराया जावे। इसी अनुसार बंटवाडा कराया जाना आवश्यक होने से वादपत्र प्रस्तुत किया गया, वादिया ने उक्त बंटवाडे के साथ कब्जा भी दिलाये जाने की दाद भी मांगी गयी। प्रतिवादी अपीलान्ट आराजीयात को खुर्द–बुर्द करना चाहता है, जिससे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना

आवश्यक है। वादिया रेस्पोडेन्ट द्वारा घोषणा बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध मे अनुतोष मांगते हुए वादपत्र मय हर्जा खर्चा स्वीकार किये जाने की दाद चाही गयी। उक्त वादपत्र रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं तत्पश्चात् वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे वर्णित तथ्यो से इंकार करते हुए वादपत्र वादिया निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। वादपत्र एवं प्रतिवादपत्र के आधार पर तीन तनकियात भी कायम की गयी, परन्तु अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से दिनांक 12/02/2014 को नोट इन्ट्रक्शन कर देने से कार्यवाही का आदेश पारित किया गया, जिस पर बिना तनकियात पर विवेचन किये ही वादिया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादपत्र प्राथमिक तौर पर स्वीकार किये जाने का निर्णय दिनांक 12/03/2014 को पारित किया गया, जिसमे धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दाद बाद विभाजन दी जावेगी। उक्त आदेश की पालना भू–अभिलेख निरीक्षक काटुन्दा द्वारा दिनांक 19/05/2014 को अपनी रिपोर्ट एवं पर्चा मौका के साथ फर्द बंटवाडा प्रस्तुत किया जिस पर दावा अंतिम निर्णय एवं डिक्री किये जाने का आदेश पारित करते हुए फाईनल डिक्री बंटवाडे के सम्बन्ध मे पारित कर दी। उक्त प्राथमिक एवं फाईनल डिक्री से असंतुष्ट होने से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

2. यह कि अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता ईसर का स्वर्गवास संवत् 2041–42 मे होना अंकित किया है। तत्कालीन समय मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 प्रभावी था जिसकी धारा 6 के अनुसार पुत्र का पैदाईशी हक निहित है पुत्री का पिता के हिस्से मे से ही हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी माना है और उसके लिए भी पुत्री का अविवाहित होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति मे पुत्री का हिस्सा किसी भी परिस्थिति मे भाई के बराबर नही माना जा सकता। ऐसी स्थिति मे वादिया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करना प्रथम दृष्टया विधि के विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं प्रतिवादपत्र के आधार पर तीन तनकियात कायम की गयी, जिसके अनुसार तनकी संख्या 1 का जिम्मा वादिया के रखा गया तथा तनकी संख्या 2 प्रतिवादी के जिम्मे रखी गयी तथा तनकी संख्या 3 सहायता के सम्बन्ध मे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकियात के आधार पर अपना निर्णय पारित नही किया गया है जबकि शहादत सम्पूर्ण होने के पश्चात् गुणावगुण पर ही निर्णय पारित करना आवश्यक है केवल मात्र प्रतिवादी की ओर से हिदायत पैरवी नही होना दर्ज करा देने से एक तरफा के आधार पर मनमकसुद तरीके से

निर्णय पारित करना अपने आप मे अवैधानिक होकर विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह माना है कि वकील प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 12/02/2014 को प्रतिवादी की ओर से हिदायत पैरवी नही होना जाहिर किया जिससे अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि अपीलान्ट प्रतिवादी को प्रकरण मे सुनवाई करने हेतु पुनः नोटिस जारी किये जाते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे मेन्ट्ररी प्रोविजन के आधार पर एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है जो अपने आप मे विधि विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। वादिया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का विवाह स्वर्गीय ईसरजी द्वारा अपने जीवनकाल मे सम्पन्न करा दिया, जिससे वादिया अपने पति परिवार के साथ अपने ससुराल मे निवास कर जीवनयापन करती चली आ रही है तथा स्वर्गीय ईसरजी द्वारा वादिया के विवाह के समय स्त्रीधन के रूप मे दहेज वगैरा दे दिया गया था, जिससे तत्कालीन समय मे ही वादिया द्वारा विवाह के समय सम्पूर्ण हिस्सा अपीलान्ट के पक्ष मे परित्याग कर दिया था जिससे स्पष्ट है कि शादी के इतने लम्बे समय बाद अपने पिता के जीवन काल मे ही कभी भी हिस्से बाबत कोई कार्यवाही नही की गयी व पिता के स्वर्गवास के पश्चात् भी 28–30 वर्षो तक भी हिस्से के सम्बन्ध मे कोई कार्यवाही नही की गयी, फिर इतने लम्बे समय के पश्चात् अपने ससुराल मे रहते हुए हिस्सा प्राप्ति की कार्यवाही करना स्पष्ट रूप से अवैधानिक है तथा साथ ही वादिया द्वारा अपने वादपत्र मे ही यह अंकित किया है कि उसका किसी भी भू–भाग पर कब्जा काश्त नही है ऐसी स्थिति मे बिना कब्जे के आधार पर घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करना स्पष्ट रूप से अवैधानिक है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व डिक्री दिनांक 19/05/2014 निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे एवं वादपत्र वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 निरस्त कराया जावे।

4. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वार पारित निर्णय व डिक्री न्याय नियम एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता ईसर जी का स्वर्गवास संवत् 2041–42 को होना अंकित किया है। तत्समय पिता के इस सम्पत्ति मे पुत्री का अविवाहित होने पर ही हिस्सा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित तथ्यो का निर्णय मे समावेश किये बिना निर्णय पारित किया गया है

जो अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, बेगूॅ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19/05/2014 अपास्त की जावे।

5. वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त विधिक बिन्दूओ एवं साक्ष्यो का विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया गया है। फलतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, बेगूॅ द्वारा प्रकरण संख्या 95/2011 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19/05/2014 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़